प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील सं. 109/2016

आदेश सुरक्षित : 17.06.2025

आदेश पारित : 20.08.2025

भरत साहू, पिता- भरोसा साहू, आयु- लगभग 30 वर्ष, निवासी- ग्राम- नांगर कोहरा, थाना व डाकघर- चिचोला, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

..... प्रतिवादी सं. 1

..... अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 - गीता बाई, पति- स्वर्गीय महेत्तर, आयु- लगभग 65 वर्ष, निवासी- ग्राम- नांगर कोहरा, थाना व डाकघर- चिचोला, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

2 - अनुसुइया बाई, पति- कंगलू यादव, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- जेंडाटोला, थाना व डाकघर- छुरिया, तहसील- छुरिया, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

3 – लच्छीराम, पिता- स्वर्गीय महेत्तर, आयु- लगभग 48 वर्ष, निवासी- ग्राम नांगर कोहरा, थाना व डाकघर- चिचोला, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

4 - मंगलीन बाई, पिता- स्वर्गीय महेत्तर, पति- बृजलाल, आयु- लगभग 46 वर्ष, निवासी- ग्राम पेरितोला, पुलिस थाना और पोस्ट छुरिया, तहसील छुरिया, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

5 - शकुन बाई, पिता- स्वर्गीय महेत्तर, पति- खोरबहरा यादव, आयु- लगभग- 40 वर्ष, निवासी- ग्राम- तिलैरावर, तहसील- डोंगरगांव, थाना व डाकघर- डोंगरगांव, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

6 - दुखिया बाई, पिता- स्वर्गीय महेत्तर, पति- रामजी यादव, आयु- लगभग 42 वर्ष, निवासी- बड़ियाटोला, पुलिस थाना, थाना व डाकघर व तहसील- छुरिया, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

7 - सुखिया बाई, पिता- स्वर्गीय महेत्तर, पति- पीतम यादव, आयु- लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम जटांहर, थाना, डाक व तहसील- डोंगरगढ़, सिविल व राजस्व जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

8 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलक्टर, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

..... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता, श्री संदीप पटेल, अधिवक्ता के साथ

प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 की ओर से : श्री विद्या भूषण सोनी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री नीरज शर्मा, उप महाधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

(सी. ए. व्ही. निर्णय)

1. प्रतिवादी द्वारा यह प्रथम अपील व्यवहार वाद सं. 33-**A**/2007 में विद्वान जिला न्यायाधीश, राजनंदगांव (छ.ग.) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का निर्णय सुनाया है और 23.05.2007 को निष्पादित विक्रय-विलेख को शून्य और अकृत घोषित कर दिया है।

2. सुविधा के लिए, पक्षकारों को व्यवहार वाद सं. 33-**A**/2007 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

3. वादपत्र अभिकथनों से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य यह हैं किः-

(क) मूल वादी महेत्तर, पिता- रामनाथ (जिसकी वाद के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी और तदानुसार, वादी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया गया था) ने 23.05.2007 दिनांकित विक्रय-विलेख को शून्य और अकृत घोषित करने के लिए एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि वादी के पास ग्राम नांगर कोहरा तहसील और खसरा सं. 463 क्षेत्रफल वाले जिला राजनंदगांव में स्थित वाद संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा था। वाद की संपत्ति मूल्यवान भूमि है और पिछले कई वर्ष से वादी की अनुमति से प्रतिवादी वाद संपत्ति पर इस शर्त के साथ ईंटों का निर्माण कर रहा है कि भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए विकसित किया जाएगा। वादी का प्रकरण यह भी है कि 23.05.2007 को प्रतिवादी ने कपट कारित करने की मंशा से उससे उसके द्वारा निर्मित माल अर्थात् ईटें, जो वर्षा से खराब हो सकते थे, की बीमा के उद्देश्य से कुछ दस्तावेजों पर उसके अंगूठे के निशान लगवाए। चूँकि वादी अशिक्षित था उसने प्रतिवादी पर विश्वास करते हुए हस्ताक्षर किए और जहाँ भी प्रतिवादी ने उसे जाने के लिए कहा था, वह उसके साथ गया। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी ने विक्रय -विलेख को किसी विक्रय प्रतिफल के बिना निष्पादित किया है।

(ख) वादी का यह भी कहना है कि प्रतिवादी द्वारा किए गए कपट के विरुद्ध उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण वादी को 23.05.2007 दिनांकित विक्रय-विलेख को शून्य और अकृत घोषित करने के लिए वाद प्रस्तुत करना पड़ा और उसने यह भी प्रार्थना की है कि प्रतिवादी को वाद संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे में दखल देने से रोका जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी सं. 1 ने लिखित उत्तर प्रस्तुत कर वादी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि वह वादी की सहमति से वाद संपत्ति पर ईंटें बना रहा है और इस बात से इनकार किया है कि वह ज़मीन कीमती ज़मीन है या उसने कपट से वादी के हस्ताक्षर लिए और विक्रय-विलेख निष्पादित किया। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने स्वेच्छा से वाद संपत्ति की बिक्री के लिए हल्का पटवारी से आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त किए और वह खुद नांगर कोहरा के लोगों के साथ आया और 1 लाख रुपये का पूरा विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने के बाद, विक्रय-विलेख अपने नाम पर पंजीकृत करवाया। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने संपत्ति खरीदने के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसके बाद विक्रय-विलेख निष्पादित किया गया है और वादी द्वारा की गई शिकायत झूठी और मनगढ़ंत है, इसलिए अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि उसने तहसीलदार छुरिया के समक्ष वाद संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक आवेदन दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था, इसलिए उसने उप-विभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी को कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए उसने वाद संपत्ति बेच दी है और वह वाद को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने चार विवाद्यक विरचित किए हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

"1. क्या प्रतिवादी द्वारा षड़यंत्र पूर्वक बिना प्रतिफल दिए वादी को धोखा देकर विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2007 का निष्पादन कराया गया?

2. क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन किया गया है?

3. क्या वादी द्वारा उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है?

4. सहायता एवं वाद व्यय?"

6. वादी ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए लच्छी राम (अ.सा.-1), नारायण (अ.सा.- 2), इशरराम (अ.सा.-3) का परीक्षण किया है और 23.05.2007 दिनांकित विक्रय-विलेख (प्र. **P**/1), मानचित्र (प्र.**P**/2), खसरा पांचसाला (प्र.**P**/3), तहसीलदार के समक्ष वादी द्वारा उठाई गई आपत्ति (प्र. **P**/4 और **P**/5), सुशील साहू का शपथ- पत्र (पूर्व। **P**/6) प्रदर्शित किए हैं।

7. प्रतिवादी ने अपने प्रकरण को साबित करने हेतु सुशील साहू (ब.सा.-1), डोमर सिंह (ब.सा.-2) और भरत साहू (ब.सा.-3) का परीक्षण किया है और विक्रय-विलेख (प्र. ब/1) प्रदर्शित किया है।

8. लछिराम (अ.सा.-1) जो वादी का बेटा है, ने आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किए गए शपथ- पत्र के माध्यम से अपने मुख्य परीक्षण में वादी के प्रकरण का समर्थन किया है और प्रतिपरीक्षण में उसने इस बात से इनकार किया है कि उसके पिता ने भारत से पूरा विक्रय प्रतिफल प्राप्त की है और वाद संपत्ति बेच है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नारायण (अ.सा.-2) का भी परीक्षण किया गया जिसने आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए शपथ- पत्र के माध्यम से वादी के प्रकरण का समर्थन किया और प्रतिपरीक्षण में कहा है कि प्रतिवादी ने उसकी भूमि में ईंट निर्माण संयंत्र का निर्माण किया है और उसने भूमि पट्टे पर ली है। उसने यह भी कथन किया है कि उसके दादा (महेत्तर) प्रतिमाह रु. 4,000/- से रु. 5,000/- का भुगतान करते थे। उसने यह भी कथन किया है कि उनके दादा महेत्तर ने ईंटों के निर्माण के लिए सरपंच के साथ कुछ दस्तावेजीकरण का कार्य किया है। उसने कथन किया है कि 23.05.2007 को जब उसके दादा राजनंदगांव गए थे, उस समय वह मजदूरी का कार्य कर रहा था और उसके दादा ने उससे कहा कि उन्हें बीमा के लिए जाना है और 11- 12 बजे वे राजनंदगांव के लिए रवाना हुए थे। उसने स्वीकार किया है कि उसने 10 वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसके दादा ने उसे पंजीयक कार्यालय के सामने बैठने के लिए कहा था और उस दिन सुशील और डोमर

भी मौजूद थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसके दादा बाहर आए और वे वापस आ गए। ईश्वरराम (अ.सा.-3) ने भी वादी के प्रकरण का समर्थन किया है और इस बात से इनकार किया है कि वादी द्वारा संपत्ति बेचने के बाद, प्रतिवादी के पास उक्त संपत्ति का कब्जा है।

10. सुशील साहू (ब.सा.-1) से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 नियम 4 के तहत दिए गए शपथ- पत्र के माध्यम से परीक्षण किया गया है, जिसमें उसने लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा लिए गए रुख को दोहराया है। इस साक्षी का वादी द्वारा व्यापक रूप से प्रति-परीक्षण किया गया और उसने प्र.**P**/6 (जो सुशील साहू का एक शपथ- पत्र है) में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने इस न्यायालय के समक्ष शपथ- पत्र के माध्यम से प्रस्तुत मुख्य परीक्षण का परीक्षण है और वह 10 वीं कक्षा अनुत्तीर्ण है। प्र.**P**/6 में, उसने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि प्रतिवादी ने प्रलेखन किया है जो केवल बीमा के लिए है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि महेत्तर को पंजीयक के समक्ष पैसे नहीं दिए गए हैं तथा भरत ने उसके साथ कपट किया है। क्योंकि भरत की आपराधिक पृष्ठभूमि है इसलिए दबाव में आकर उसने हस्ताक्षर किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. डोमर सिंह (ब.सा.-2) ने आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए शपथ-पत्र के माध्यम से परीक्षण किया गया है, जिसमें उसने प्रतिवादी के प्रकरण का समर्थन किया है, परन्तु इस साक्षी का प्रति- परीक्षण नहीं किया गया है तथा उसने 14.05.2014 को एक शपथ- पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु उक्त साक्षी आगे प्रति- परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हआ है।

12. भरत साहू/प्रतिवादी (ब.सा.-3) ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 नियम 4 के तहत दिए गए शपथ- पत्र के माध्यम से अपने मुख्य परीक्षण में अपने लिखित कथन में लिए गए रुख को दोहराया है और प्रति- परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसने धान के विक्रय के बाद धन एकत्र किया है परन्तु धान के विक्रय की कोई रसीद अभिलेख पर

प्रस्तुत नहीं की गई है। उसने यह भी कथन किया है कि उसने रू.500 के नोटों की गड्डी (बंडल) दी है। 500/- के नोट वादी को उसके घर में दिए गए और उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि नामांतरण कार्यवाही को तहसीलदार छुरिया द्वारा भी खारिज कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध उसने एक अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

13. साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए वादी के वाद में डिक्री पारित की है कि विक्रय-विलेख को सत्यापित करने वाले साक्षी ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि विक्रय प्रतिफल की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, वाद सम्पत्ति के विक्रय का कोई न्यायसंगत कारण नहीं बताया गया है तथा वाद सम्पत्ति मृत वादी के परिवार के सदस्यों के कब्जे में है, तदानुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक क्रं. 1 कि क्या प्रतिवादी द्वारा षड़यंत्र पूर्वक बिना प्रतिफल दिए वादी को धोखा देकर विक्रय- विलेख का निष्पादन किया गया है, का निर्णयन करते हुए सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय और डिक्री से व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भले ही विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है, फिर भी संविदा अधिनियम के उपबंधों को देखते हुए विक्रय-विलेख को शून्य और अकृत घोषित नहीं किया जा सकता है। आगे वे निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने विक्रय-विलेख को विक्रय-प्रतिफल का भुगतान न करने की स्थिति में शून्य और अकृत घोषित करने में अवैधता की है। आगे वे निवेदन करते हैं कि

वादी ने कपट का अभिवाक् किया है, अतः यह उसके लिए अनिवार्य था कि वह इसका अभिवाक् कर इसे साबित करता परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने भार वादी पर डाल

दिया है जो साक्ष्य विधि के विरुद्ध है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं। आगे वे निवेदन करते हैं कि **बोधीराम यादव (मृत), द्वारा-विधिक प्रतिनिधि बनाम गुरुशरण सिंह भाटिया व अन्य [प्रथम अपील सं.107/ 2016]** के प्रकरण में इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने विवाद्यक पर विचार कर यह अभिनिर्धारित किया है कि पंजीकृत विक्रय- विलेख के साथ यह अनुमान जुड़ा होता है कि संव्यवहार वास्तविक था। यदि विक्रय-विलेख का निष्पादन साबित हो जाता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर होती है कि विक्रय-विलेख का निष्पादन नहीं किया गया था और यह एक नकली संव्यवहार था।

15. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का समर्थन करते हुए निवेदन करते हैं कि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री एवं साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादी को कोई धन नहीं दिया गया था तथा कपट कारित किया गया है जैसा क बीमा के उद्देश्य से दस्तावेज तैयार किए गए। तदानुसार विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि कपट कारित किया गया है अतः विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष वैध एवं न्यायपूर्ण है तथा इसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है तथा अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अत्यंत संतुष्टि तक अभिलेख का परिशीलन किया है।

17. पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों से, इस न्यायालय के निर्धारण के लिए विवाद्यक सामने आया है कि :-

"क्या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी द्वारा कपट कारित किया गया है, विकृत और अवैध है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है?**"**

18. इस बिंदु को समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 के उपबंधों का वाचन समीचीन है जो 'कपट' को परिभाषित करता है और निम्नानुसार हैः-

> "17. "कपट" की परिभाषा— "कपट" से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा, सविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो —
>
> (1) जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है;
>
> (2) किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना;
>
> (3) कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो;
>
> (4) प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य;
>
> (5) कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वादियों ने अपने अभिवचनों में विशिष्ट रुख अपनाया है कि बीमा निष्पादित करने वाले प्रतिवादी ने अपने अंगूठे का निशान लगाया है जिसमें उसने विक्रय-विलेख को निष्पादित किया है और विक्रय प्रतिफल की कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।यह अभिवचन वादी के साक्षियों का परीक्षण कर विधिवत साबित किया गया था और प्रतिवादी द्वारा उक्त

आरोपों का खंडन करने के लिए कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया था। यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए धन का कोई स्रोत भी साबित नहीं किया गया था कि जहाँ से उसने प्रतिफल का भुगतान किया है कि विक्रय के भुगतान के बाद वादी द्वारा विक्रय -विलेख को निष्पादित किया गया है। साक्ष्य में प्रतिवादी साक्षी सुशील साहू (ब.सा.-1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उसने उस समय धन दिया था तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने वादी को विक्रय प्रतिफल के भुगतान के तथ्य से इनकार करते हुए उसने एक शपथ- पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा उक्त शपथ- पत्र पर अपने हस्ताक्षर को भी स्वीकार किया है यद्यपि प्रतिवादी द्वारा उक्त अधिकथन का खण्डन करने का कोई प्रयास नहीं किया है, अतः विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष उचित रूप से दर्ज किया है कि पक्षकारो के मध्य धन का आदान- प्रदान नहीं हआ है, अतः विक्रय- विलेख को निष्पादित करने हेतु प्रतिवादी द्वारा कपट कारित किया गया है। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि कपट सब-कुछ खत्म कर देता है। **विष्णु वर्धन @ विष्णु प्रधान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा जुड़े हुए प्रकरणों** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"क. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजेन्द्र सिंह [(2000) 3 एस. सी. सी. 581]** में इस न्यायालय ने दोहराया है कि कपट सब कुछ खत्म कर देता है :

3. "कपट और न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते" (फ्रॉस एट जस ननक्वाम कोहैबिटैन्ट) एक पुराना सिद्धांत है जिसने इन सभी सदियों में अपना महत्व नहीं खोया है। लॉर्ड डेनिंग ने बिना किसी शक के कहा था कि "किसी भी न्यायालय का कोई भी निर्णय, किसी मंत्री का कोई भी आदेश मान्य नहीं हो सकता अगर उसे कपट से हासिल किया गया हो, क्योंकि कपट सब कुछ खत्म कर देता है" (लॉज़रस एस्टेट्स लिमिटेड बनाम बीसले [(1965) 1 क्यू. बी. 702 : (1965) 1 ऑल ई. आर. 341 : (1956) 2 डबल्यू. एल. आर. 502 (सी. ए.)])

क. **सृष्टि धवन (श्रीमती) बनाम शॉ ब्रदर्स [(1992) 1 एस. सी. सी. 534]** में अभिनिर्धारित किया गया थाः

20. कपट और दुस्संधि किसी भी सभ्य विधिक प्रणाली में सबसे गंभीर कार्यवाही को भी दूषित कर देती है। यह मानव व्यवहार को बताने वाला एक अवधारणा है। माइकल लेवी एक कपटी की तुलना मिल्टन के जादूगर, कोमस से करते हैं, जो अपनी इस काबिलियत पर खुश होता था कि, 'मुझे सरल दिल वाले आदमी के पास ले जाओ और उसे जाल में फंसा लो'। इसे या छल के काम के रूप में परिभाषित किया गया है। वेबस्टर के थर्ड न्यू इंटरनेशनल शब्दकोष में कपट को एक ऐसे काम या विलोपन या छिपाने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध ज़मीर के विरुद्ध लाभ उठाता है या जिसे साम्या या लोक नीति दूसरे के लिए हानिकारक होने के कारण मना करती है। ब्लैक के लीगल शब्दकोष में, कपट को सच को जानबूझकर तोड़ने-मरोड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि दूसरे को उस पर भरोसा करके उसकी कोई कीमती चीज़ देने या विधिक अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके; किसी बात का गलत निरूपण चाहे शब्दों से हो या व्यवहार से, झूठे या गुमराह करने वाले आरोपों से, या उस चीज़ को छिपाने से जिसे बताया जाना चाहिए था, जो दूसरे को धोखा देता है और धोखा देने का आशय रखता है ताकि वह उस पर काम करके अपनी विधिक हानि कर ले.....

ग. ए. व्ही. पपय्या शास्त्री बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार [(2007) 4 एस. सी. सी. 221 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

21. अब, यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि अगर कोई निर्णय या आदेश से हासिल किया गया है, तो उसे विधि की नज़र में निर्णय या आदेश नहीं कहा जा सकता। तीन सदियां पहले, मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने घोषणा की थी:

"कपट सभी न्यायिक कार्यों, धार्मिक या सांसारिक, को अमान्य कर देता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस प्रकार यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ कपट करके हासिल की गई निर्णय, डिक्री या आदेश विधि की नज़र में शून्य और अमान्य है। ऐसा निर्णय, डिक्री या आदेश- प्रथम न्यायालय का हो या अंतिम न्यायालय का, को हर न्यायालय- कनिष्ठ या वरिष्ठ, शून्य मानेगा। इसे किसी भी न्यायालय में, किसी भी समय, अपील, रिवीजन, रिट या यहां तक कि समानांतर कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।

23. ***

24. डचेस ऑफ़ किंग्स्टन, स्मिथ्स लीडिंग केसेज़, 13 वें संस्करण, पृ. 644 में, कपट की प्रकृति समझाते हुए, डी ग्रे, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि कोई निर्णय निर्णयित मामला (रेस ज्यूडिकाटा) होगा और अंदर से उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन बाहर से उस पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि यह दिखाना मुमकिन नहीं है कि न्यायालय ने "गलती" की थी, लेकिन यह दिखाया जा सकता है कि उसे "गुमराह" किया गया था। गलती और ठगे जाने में एक ज़रूरी अंतर है। इस अंतर का साफ़ अर्थ यह है कि किसी निर्णय को रद्द करने के लिए यह आधार नहीं बनाया जा सकता कि वह गलत तरीके से निर्णित किया गया था, अर्थात्, गुण के आधार पर, निर्णय ऐसा था जो नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे रद्द किया जा सकता है, अगर न्यायालय को धोखा देकर या गुमराह करके निर्णय दिलवाया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. कहा गया है: कपट और न्याय कभी एक साथ नहीं रहते (फ्रॉस एट जस ननक्वाम कोहैबिटैन्ट); या कपट और छल से किसी को लाभ नहीं होना चाहिए (फ्रॉस एट डोलस नेमिनि पेट्रोसिनारी डिबेन्ट)।

घ. डेनिंग, एल. जे. द्वारा **लॉज़रस एस्टेट्स लिमिटेड** (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय, जिसे इस न्यायालय ने निधि कैम (उपरोक्त) सहित कई निर्णयों में मंज़ूरी के साथ उद्धृत किया है, ने विधि कार्यवाही में कपट के प्रति असहिष्णुता को इन शब्दों में ज़ाहिर किया:

कोई भी न्यायालय ..... किसी व्यक्ति को वह लाभ रखने की अनुमति नहीं देगा जो उसने कपट से हासिल किया है। [...] कपट सब कुछ खत्म कर देती है। न्यायालय इस बात का ध्यान रखता है कि जब तक कपट स्पष्ट रूप से बताई और साबित न हो जाए, तब तक उसे न माने; लेकिन एक बार जब यह साबित हो जाती है, तो यह निर्णयों, कॉन्ट्रैक्ट्स और सभी लेन-देन को अमान्य कर देती है...

.....

.....

85. **इंदरजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य [(2011) 12- SCC 588]** में इस न्यायालय ने कहा कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह एक स्थापित विधि सिद्धांत है कि जहां कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकरण के सामने गलत कथन देकर या कपट करके कोई आदेश/पद प्राप्त करता है, तो ऐसा आदेश विधि की नज़र में कायम नहीं रह सकता क्योंकि कपट सब कुछ खत्म कर देती है।

"साम्या हमेशा विधि को चालाकी भरी चोरी और विधि से बचने के लिए आविष्कार की गई नई बारीकियों से बचाने के लिए जानी जाती है।" यह सच है कि "कपट और न्याय कभी एक साथ नहीं रहते" (फ्रॉस एट जस ननक्वाम कोहैबिटैन्ट)। कपट जानबूझकर धोखा देने का एक कार्य है जिसका मकसद कुछ ऐसा हासिल करना है जो अन्यथा देय नहीं है। कपट और छल पर्यायवाची हैं। "कपट सभी इक्विटी सिद्धांतों के लिए अभिशाप है और कपट से दूषित किसी भी मामले को किसी भी इक्विटी सिद्धांत को लागू करके जारी नहीं रखा जा सकता या बचाया नहीं जा सकता।" न्यायालय के साथ कपट के कार्य को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। [केरल राज्य बनाम एम. के. कुन्हीकन्नन नाम्बियार मंजेरी मनिकोथ [(1996 1 एस. सी. सी. 435] और तैयबभाई एम. बागसरवाला बनाम हिंद रबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड। [(1997) 3 एससीसी 443]।

20. इस प्रकार, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन कि विधि का सिद्धांत कि विक्रय-विलेख अनुमान लगाता है, प्रकरण के वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि अनुमान खंडन योग्य है जिसका खंडन ठोस और पर्याप्त साक्ष्य दर्ज कर किया गया है।

21. वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के आगे का निवेदन कि विचारण न्यायालय ने वादी पर साबित करने का भार डालकर अवैधता कारित की है क्योंकि वादी को यह अभिवाक् कर साबित करना था कि प्रतिवादी द्वारा कपट कारित किया गया था, जिसमें वह बुरी तरह विफल रहा है अतः विक्रय-विलेख को शून्य और अकृत घोषित करना अवैधता है, पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है। वादी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात का साक्ष्य देकर भारमुक्त हुआ है कि कोई विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है और यहां तक कि साक्षी सुशील साहू (ब.सा.-1) जिसका शपथ- पत्र पहले से ही अभिलेख में है, ने विशेष रूप से विक्रय प्रतिफल के बारे में इनकार किया है जिसका प्रतिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है। यहां तक कि इस साक्षी से प्रति- परीक्षण करने की अनुमति के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वादी अपने भार से मुक्त हुआ है, अतः प्रतिवादी पर उस का खंडन करने का बोझ पड़ता है जिसका उसने ठोस साक्ष्य पेश कर खंडन नहीं किया है। केवल यह कथन ही उन साक्ष्य तथा परिस्थितियों को क्षीण नहीं कर सकता जो स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी द्वारा कपट कारित किया गया है क्योंकि वादी द्वारा अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि कपट कारित किया गया है। प्रतिवादी ने अभिवाक् किया है कि उसने राशि का भुगतान किया है और यह तथ्य उसकी जानकारी में है परन्तु विक्रय प्रतिफल के भुगतान के तथ्य को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी पर भार अंतरित करने में कोई अवैधता नहीं की है, अतः प्रतिवादी द्वारा किए गए निवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है और तदानुसार इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय **दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली व अन्य [2020 (7) एस. सी. सी. 366]** के प्रकरण का प्रश्न है, वह वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है क्योंकि विवाद्यक यह नहीं है कि आंशिक भुगतान किया गया है या पूरा भुगतान किया गया है। प्रकरण में विवाद्यक यह है कि विक्रय-विलेख कपट कारित कर निष्पादित किया गया है या नहीं। अतः वह निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

23. तदानुसार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित बिंदु का उत्तर **अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध तथा प्रत्यर्थियों/ वादियों** के पक्ष में दिया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा विक्रय-विलेख का निष्पादन वादी से कपट कर किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी विकृति अथवा अवैधता से ग्रसित नहीं है जिसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

25. तदानुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur